भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3551
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कों पर निवेश

3551. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण सड़कों पर निवेश ग्रामीण निर्धनता के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या देश में ग्रामीण सड़क योजना को वर्तमान जरूरतों के अनुसार मजबूत और संशोधित करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या वर्ष 2029 तक 62,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले सहित बनाई जाने वाली ग्रामीण सड़कों का राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले दस वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है और उसमें महाराष्ट्र सरकार का कितना हिस्सा है; और

(च) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अवसंरचना और संपर्क में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (च) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कोर नेटवर्क में सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की एकबारगी विशेष पहल है। इसे वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन उपाय के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के माध्यम से ग्रामीण आबादी को बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक तथा पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों , मरूभूमि क्षेत्रों और पहचाने गए पिछड़े जिलों में 250 से अधिक की जनसंख्या वाली संपर्कविहीन बसावटों को शामिल किया गया। तदंतर इस कार्यक्रम का वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित ब्लॉकों में 100 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों तक विस्तार किया गया था।

पीएमजीएसवाई-II मई, 2013 में शुरू की गई थी और इसमें वर्तमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क के समेकन की परिकल्पना की गई थी ताकि लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में इसकी समग्र दक्षता में सुधार किया जा सके।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 44 सबसे अधिक प्रभावित एलडब्ल्यूई जिलों और 9 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कुछ आस-पास के जिलों में सड़क संपर्कता में सुधार करना था। इस योजना के दो उद्देश्य हैं- सुरक्षा बलों द्वारा सुचारू और निर्बाध रूप से वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों को चलाना और इसी के साथ क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करना।

सरकार ने जुलाई , 2019 में 1,25,000 किलोमीटर थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक के माध्यम से बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) , उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों के साथ जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई-III को अनुमोदन प्रदान किया था।

हाल ही में, भारत सरकार ने सितंबर 2024 में पीएमजीएसवाई के चरण IV को अनुमोदन प्रदान किया है, ताकि जनगणना 2011 के अनुसार, मैदानी इलाकों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 250 से अधिक, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100 से अधिक जनसंख्या वाली 25,000 सड़क संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सडक संपर्कता प्रदान की जा सके। पीएमजीएसवाई- IV को पूरा करने की समयसीमा मार्च 2029 है। राज्यों द्वारा ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप का उपयोग करके सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है और अपेक्षित सहायता प्रदान कर रहा है।

पिछले दस वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास हुआ है। महाराष्ट्र में , 8,192 किलोमीटर तक फैली 1,160 सड़कों और 815 लंबी दूरी के पुलों (एलएसबी) का निर्माण किया गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश राज्य में , 38,848 किलोमीटर की कुल 8,154 सड़कों और 1,337 पुलों का निर्माण किया गया है।

******